न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जे0एन0मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 106 / 2014 (225 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2014 / 00293

उनवानी :–

1– श्रीनिवास पुत्र बैनी जाति ब्रहाम्ण निवासी चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर।

अपीलांट––––––––––––

बनाम

1– अनिल पुत्र मुरारी जाति ब्रहाम्ण निवासी चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर।
2– विनय पुत्र मुरारी जाति ब्रहाम्ण निवासी चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर।
3– सन्तोष पुत्र मुरारी जाति ब्रहाम्ण निवासी चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर।
4– सीमा पुत्री मुरारी जाति ब्रहाम्ण निवासी चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर।

रेस्पो0–––––––

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर
भरतपुर दिनांक 04.01.2013 मु0न0 34 / 2007
उनवानी मुरारी बनाम श्रीनिवास।

उपस्थितिः–

1– वकील अपीलांट श्री विजय सिंह कुन्तल एड0
2– वकील रेस्पो0 श्री हरी दत्त शर्मा एड0

निर्णय दिनांक 03.01.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय नें जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है। वह इजराय की कार्यावाही पूरी होने के पश्चात जारी किया है। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था अतः अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई ।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दौहराते हुये निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश 4.01.2013 को पारित किया गया है जबकि इजराय 15.12.2004 को ही हो चुकि थी और डिक्री में इजराय के पश्चात प्रा.पत्र पेश नहीं किया जा सकता केवल अपील की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय नें अपने आदेश में ख.न. 66 एवं 69 को भी शामिल कर लिया है जबकि निर्णय में इसका कोई उल्लेख नहीं था अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बचाव में वकील प्रत्यर्थी नें निवेदन किया की अधीनस्थ न्यायालय का आदेश माननीय न्यायालय के आदेश के विरुद्ध नहीं है और यह आदेश उभय पक्ष को सुनवाई का मौका देने के उपरान्त पारित किया है अतः अपील खारिज की जावे।

बहस उभय पक्ष के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली से यह सिद्ध है कि वकील अपीलार्थी नें ख.न. 66 व 69 को शामिल कर लेने बाबत् आक्षेप किया है जबकि राजस्व अपील प्रधिकारी के दो निर्णय इस पत्रावली में संलग्न है जिसमें से अपील संख्या 343/2001 में ख.न. 646 बाबत् निर्णय पारित किया है जबकि 346/2001 में ख.न. 66 व 69 बाबत् आदेश किया गया है इस प्रकार अपीलार्थी का यह तर्क कि राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश को अधीनस्थ न्यायालय नें संशोधित कर दिया है, तथ्यों के परे प्रकट होता है अतः अपील खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलार्थी तथ्यों के परे होने के कारण खारिज की जाती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 03.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर